



प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर निर्मित जर्दी डोमरा तटबन्ध के किमी० 1.000 से किमी० 1.210, किमी० 1.500 से किमी० 1.800, किमी० 2.600 से किमी० 3.000, किमी० 20.450 से किमी० 21.450, अमहवां रिंग तटबन्ध के किमी० 0.000 से किमी० 0.600, किमी० 1.000 से किमी० 1.400, किमी० 2.300 से किमी० 2.800, डोमरा रिंग तटबन्ध के किमी० 0.060 से किमी० 0.210, एवं अनन्तपुर बड़हरा तटबन्ध के किमी० 5.750 से किमी० 6.000, किमी० 6.500 से किमी० 7.050 की लम्बाई में कट्टी साइड स्लोप के स्थायित्व एवं भूमि अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु दो वॉल निर्माण कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-876/काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 07-05-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की एक अदद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-08-तटबन्धों का निर्माण- 0841-तटबन्धों पर सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (रा०से०)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था (चालू श्रेणी) में से ₹ 2,77,00,000.00 (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संगठन/मण्डल/खण्ड		मु० अभि० (गण्डक) गोरखपुर/गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर/सिंचाई खण्ड-2, महाराजगंज। (धनराशि लाख ₹० में)									
क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुदान सं०/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं० तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) /गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत (6(a)-7)	अब तक क्रमिक आवंटन (a)/ क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष) (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०/लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94-4711-01-103-08-41-24 तटबन्धों पर सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य पोषित)											
1	जनपद महाराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर निर्मित जर्दी डोमरा तटबन्ध के किमी० 1.000 से किमी० 1.210, किमी० 1.500 से किमी० 1.800, किमी० 2.600 से किमी० 3.000, किमी० 20.450 से किमी० 21.450, अमहवां रिंग तटबन्ध के किमी० 0.000 से किमी० 0.600, किमी० 1.000 से किमी० 1.400, किमी० 2.300 से किमी० 2.800, डोमरा रिंग तटबन्ध के किमी० 0.060 से किमी० 0.210, एवं अनन्तपुर बड़हरा तटबन्ध के किमी० 5.750 से किमी० 6.000, किमी० 6.500 से किमी० 7.050 की लम्बाई में कट्टी साइड स्लोप के स्थायित्व एवं भूमि अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु दो वॉल निर्माण कार्य की परियोजना। (Latitude: 26°59'35"N, 27°01'49"N, 26°57'50"N, 27°03'44"N Longitude: 83°19'54"E, 83°22'18"E, 83°20'09"E, 83°23'27"E)	94-4711-01-103-08-41-24 तटबन्धों पर सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य पोषित)	277.00	28/2026/452/2026/27-2002/3/2026-2 दिनांक 20.03.2026	461.45382.81	455.54	5.91	1.00/1.00*	454.54	4-4711-01-103-08-41-24	277.00

(रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)

- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तों/ प्रतिबन्धों

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की संख्या-28/2026/452/2026/27-2002/3/2026-2, दिनांक 20.03.2026 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-08-तटबन्धों का निर्माण-0841-तटबन्धों पर सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (रा०से०)-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 2,77,00,000.00 (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011030841 सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) मुख्य अभियंता, अनु० एवं नियो०(बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।